Section 9 : Returns, payments and refunds

(1) Every taxable person, making a taxable supply of goods or services or both, shall—

- **(a)** pay the amount of cess as payable under this Act in such manner;
- **(b)** furnish such returns in such forms, along with the returns to be filed under the Central Goods and Services Tax Act; and
- **(c)** apply for refunds of such cess paid in such form,

as may be prescribed.

(2) For all purposes of furnishing of returns and claiming refunds, except for the form to be filed, the provisions of the Central Goods and Services Tax Act and the rules made thereunder, shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the cess leviable under section 8 on all taxable supplies of goods or services or both, as they apply in relation to the levy and collection of central tax on such supplies under the said Act or the rules made thereunder.

धारा 9 : विवरणियां, संदाय और प्रतिदाय

(1) माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति –

(क) इस अधियिम के अधीन यथा संदेय उपकर की रकम का संदाय ऐसी रीति में करेगा;

(ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियों के साथ ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा; और

(ग) ऐसे संदत्त उपकर के प्रतिदाय के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में करेगा,

जो विहित किया जाए।

(2) विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने और प्रतिदायों का दावा करने के सभी प्रयोजनों के लिए, फाइल किए जाने वाले प्ररूप के सिवाय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, यथाशक्त, माल या सेवाओं या दोनों की सभी कराधेय पूर्तियों पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में वैसी ही लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते है।